National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 24-02-2026, Accepted: 26-03-2026, Published: 10-04-2026
Volume 11, Issue 2, 2026, Page No. 34-37

भारत में मॉब लिंचिंग के संदर्भ में पीड़ितों के मानवाधिकार

रतन लाल प्रजापति
शोधार्थी, विधि विभाग, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
मॉब लिंचिंग एक गैरकानूनी और क्रोधित भीड़ या व्यक्तियों के समूह द्वारा पूरी तरह से अवैध हत्या है। भारत में मॉब लिंचिंग के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, हिंसा से संबंधित मामलों में वृद्धि हत्या के बराबर है। जब लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो यह पीड़ित के लिए खतरनाक हो जाता है जो अपनी जान के खतरे में होता है। यह विश्लेषण किया गया है कि लिंचिंग या सार्वजनिक विकार 8% से बढ़कर 20% से अधिक हो गया है। हाल ही में हुई इस भीड़ की हिंसा के खिलाफ नागरिकों के एक बड़े वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि 21वीं सदी के दौरान मनुष्यों के एक अजीब बर्बर व्यवहार को दर्शाती है। भारत में लिंचिंग के ज्यादातर पीड़ित उस विशेष क्षेत्र के अल्पसंख्यकों जैसे दलितों और मुसलमानों से संबंधित व्यक्ति हैं।
भारत के संविधान में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत निहित अधिकांश अधिकार शामिल हैं। इस तरह की बुराई पर काबू पाने के लिए मौलिक अधिकार मुख्य कदम हैं। अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य स्वतंत्रता के लिए बहुत इच्छुक हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वतंत्रता बुनियादी अधिकारों में से एक है जो मानव की प्रमुख पसंद है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो जन्म से ही मानव में निहित हैं। इन अधिकारों को किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता, रंग, पंथ आदि के अलावा मनुष्य हर जगह मौजूद है। इसलिए, मानवाधिकारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

मुल शब्द: मॉब लिंचिंग, लिंचिंग, मानवाधिकार, सामाजिक बुराई, लिंचिंग कानून, भारत का संविधान

भारतीय आबादी मॉब लिंचिंग के बारे में तेजी से चिंतित हो रही है, जिसमें हाल के वर्षों में पर्याप्त सबूतों के बिना लोगों के समूह दूसरों पर हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मॉब लिंचिंग की प्रथा 2000 के दशक की शुरुआत में एक स्पष्ट समस्या के रूप में उभरी क्योंकि समर्थकों ने अनुचित पैतृक प्रवृत्ति के साथ झूठी जानकारी और ऐतिहासिक नापसंद के आधार पर काम किया। हिंसा उन अफवाहों से उपजी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रसारित होती हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गलत सूचना के प्रसार के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। सोशल मीडिया उपकरणों के माध्यम से, झूठी रिपोर्टों का व्यापक वितरण और विकास तीव्र सामुदायिक आक्रोश और भय पैदा करता है, जो गुमराह करने वाली जानकारी के साथ कई लोगों को प्रभावित करता है। भारत में मॉब लिंचिंग मुख्य रूप से अन्य हाशिए के समुदायों के साथ–साथ मुसलमानों और दलितों जैसे कमजोर सामाजिक समूहों के खिलाफ धार्मिक संघर्षों और सांप्रदायिक मतभेदों के संदर्भ में होती है।

भारत ने सांप्रदायिक और जाति–आधारित हिंसक प्रकोपों का अनुभव किया है, विशेष रूप से 1947 के विभाजन और इतिहास में 2002 के गुजरात दंगों सहित प्रमुख घटनाओं के बाद। लिंचिंग की घटनाओं की तीव्रता और उनकी प्रकट स्पष्टता ने पूरे देश में पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। बढ़े हुए सामाजिक तनाव ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से लड़ते हुए गायों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो हाशिए पर रहने वाली आबादी के खिलाफ हिंसा का आधार है। भीड़ न्याय में शामिल लोग अपने समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं को प्रदर्शित करने या उनकी रक्षा करने के लिए इस तरह के कार्यों का उपयोग करते हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुत्पादक प्रयास स्थिति को बदतर बनाते हैं। पुलिस विभाग जैसे अधिकारी हमेशा इन अपराधों को नजरअंदाज करते हैं या हिंसक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के भीतर कुछ नेता इन अपराधों के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन बनाए रखते हैं, जबकि अन्य को अपराधियों को दंडित करने के लिए उनकी अज्ञानता के दृष्टिकोण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त कानूनी परिभाषाओं के साथ–साथ सतर्कता के सामाजिक और राजनीतिक समर्थन ने समाजों को भीड़ की हिंसा को एक स्वीकृत न्याय प्रणाली के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है।

इस पेपर में विश्लेषण इसके अंतर्निहित कारणों के साथ–साथ इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणामों और मानवाधिकारों पर इसके हानिकारक प्रभावों के मूल्यांकन के माध्यम से भारत में मॉब लिंचिंग की बढ़ती व्यापकता की जांच करता है। पेपर अतिरिक्त हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सुधारों की सिफारिश करते हुए मामले के अध्ययन का विश्लेषण करके इस समस्या के लिए वर्तमान कानूनी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है।

भारतीय आबादी मॉब लिंचिंग के बारे में तेजी से चिंतित हो रही है, जिसमें हाल के वर्षों में पर्याप्त सबूतों के बिना लोगों के समूह दूसरों पर हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मॉब लिंचिंग की प्रथा 2000 के दशक की शुरुआत में एक स्पष्ट समस्या के रूप में उभरी क्योंकि समर्थकों ने अनुचित पैतृक प्रवृत्ति के साथ झूठी जानकारी और ऐतिहासिक नापसंद के आधार पर काम किया। हिंसा उन अफवाहों से उपजी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रसारित होती हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गलत सूचना के प्रसार के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। सोशल मीडिया उपकरणों के माध्यम से, झूठी रिपोर्टों का व्यापक वितरण और विकास तीव्र सामुदायिक आक्रोश और भय पैदा करता है, जो गुमराह करने वाली जानकारी के साथ कई लोगों को प्रभावित करता है। भारत में मॉब लिंचिंग मुख्य रूप से अन्य हाशिए के समुदायों के साथ–साथ मुसलमानों और दलितों जैसे कमजोर सामाजिक समूहों के खिलाफ धार्मिक संघर्षों और सांप्रदायिक मतभेदों के संदर्भ में होती है। भारत ने सांप्रदायिक और जाति–आधारित हिंसक प्रकोपों का अनुभव किया है, विशेष रूप से 1947 के विभाजन और इतिहास में 2002 के गुजरात दंगों सहित प्रमुख घटनाओं के बाद। लिंचिंग की घटनाओं की तीव्रता

और उनकी प्रकट स्पष्टता ने पूरे देश में पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। बढ़े हुए सामाजिक तनाव ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से लड़ते हुए गायों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो हाशिए पर रहने वाली आबादी के खिलाफ हिंसा का आधार है। भीड़ न्याय में शामिल लोग अपने समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं को प्रदर्शित करने या उनकी रक्षा करने के लिए इस तरह के कार्यों का उपयोग करते हैं।

मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुत्पादक प्रयास स्थिति को बदतर बनाते हैं। स्थानीय पुलिस विभागों के अधिकारियों पर इन अपराधों की अनदेखी करने या हिंसक कार्रवाइयों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक क्षेत्र के भीतर कुछ नेता इन अपराधों के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन बनाए रखते हैं, जबकि अन्य को अपराधियों को दंडित करने के लिए उनके कार्रवाई न करने वाले दृष्टिकोण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त कानूनी परिभाषाओं के साथ–साथ सतर्कता के सामाजिक और राजनीतिक समर्थन ने समाजों को भीड़ की हिंसा को एक स्वीकृत न्याय प्रणाली के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है।

भारत में लिंचिंग की उभरती समस्याएं

हालाँकि, भारत एक बहुत प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, लेकिन यह अखंडता और बंधुत्व मुसीबत में है, जब से हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग फैल रही है। पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग से लोगों की मौतों में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि 1984 (पंजाब) और 2002 (गुजरात) की तरह कई दंगे हुए हैं, लेकिन इसने खुद को मॉब लिंचिंग में बदल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से या संभवतः 2015 से, मॉब लिंचिंग गोरक्षा के नाम पर या धार्मिक प्रभुत्व या जाति प्रभुत्व के नाम पर की जा रही है। यह बहुत आम बात है कि मॉब लिंचिंग के शिकार अल्पसंख्यक या दलित होते हैं। अगर हम भारत में विभिन्न लिंचिंग पर एक नजर डालते हैं, जैसे अखलाक (2015) पहलू खान (2016) तबरेज अंसारी (2019) की घटना या हाल ही में महाराष्ट्र (सितंबर 2020) में दो दलितों की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई, तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक लक्षित व्यक्ति या तो दलित समुदाय के अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।

लिंचिंग गौ रक्षा की आड़ में धार्मिक उन्माद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जाति और जातीयता आधारित हत्याओं में भी हैं। 2006 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक दलित परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस वध को खेरलांजी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। दीमापुर मॉब लिंचिंग (2015) में नागालैंड के दीमापुर में एक भीड़ ने जेल तोड़ दी और एक बलात्कार के आरोपी की पीट–पीटकर हत्या कर दी, जो उसके मुकदमे का इंतजार कर रहा था।

पालघर मॉब लिंचिंग (2020) सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के दुरुपयोग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें अफवाहों के परिणामस्वरूप दो साधुओं की मौत हो गई और कुछ अन्य भी प्रभावित हुए। 2017 में, पश्चिम बंगाल में एक मानसिक रूप से बीमार महिला की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई थी, जब एक 14 वर्षीय बच्चा लापता हो गया था और इस क्षेत्र में बांग्लादेशी बच्चों के अपहरणकर्ताओं के सक्रिय होने की अफवाह थी।

भारत में लिंचिंग बहुत जल्दी सामने नहीं आई है, लेकिन यह दंगों से लेकर सांप्रदायिक दंगों तक हुई है, जिसके परिणामस्वरूप आगे मॉब लिंचिंग हुई। यह वास्तव में एक गंभीर समस्या और चिंता का विषय है।

मानवाधिकार और मॉब लिंचिंग

मानवाधिकार मानव के मूल अधिकार हैं जो उसके लिए अंतर्निहित हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता आदि। इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से सभी पर लागू होते हैं। वे केवल मौलिक अधिकारों के समान हैं, लेकिन उनके बीच केवल मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकार देश के कानून द्वारा स्थापित या प्रदान किए जाते हैं, जबकि मानवाधिकारों को इसकी सार्वभौमिक मान्यता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास बिल ऑफ राइट्स है जो तीन प्रमुख दस्तावेजों (यू.डी.एच.आर.आई.सी.सी.पी.आर. और आई.सी.ई.एस.सी.आर.) से बना है भारत ने इन तीनों अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉब लिंचिंग एक बड़ी चिंता का विषय है और संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह के मामले को देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। मॉब लिंचिंग ने इन तीन प्रमुख दस्तावेजों के तहत घोषित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है। यू.डी.एच.आर. अनुच्छेद 1 गरिमा और भाईचारे की भावना का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 2 बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 3 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 7 बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और इस तरह के भेदभाव के लिए किसी भी उकसावे के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है। लिंचिंग का कार्य आई.सी.सी.पी.आर. के अनुच्छेद 20 (2) और आई.सी.ई.एस. सी. आर. के अनुच्छेद 2 के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी उल्लंघन करता है जो हिंसा के लिए किसी भी नस्लीय या धार्मिक उकसावे या भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद 7 का भी उल्लंघन करता है जो मानव को यातना और अमानवीयता से बचाता है और आई.सी.सी. पी.आर. के अनुच्छेद 18 जो धर्म, विश्वास और विचारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चूँकि भारत यू.डी.एच. आर. का हस्ताक्षरकर्ता और अनिवार्य है, इसलिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य बनाम श्रीमती चंद्रिमा दास और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यू.डी.एच.आर. में निर्धारित बुनियादी मानवाधिकारों का भारतीय संविधान द्वारा भाग 3 के तहत भी समर्थन या अनुसमर्थन किया गया है। नतीजतन, भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली मॉब लिंचिंग की ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बाध्य है।

इस संदर्भ में, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यू.एस.सी.आई.आर.एफ.) ने भी भारतीय चिंताओं पर संज्ञान लिया। यू.एस.सी.आई.आर.एफ. ने 2019 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को टियर 2 के तहत रखा। कुल 12 देश हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल होने या सहन करने के लिए टियर 2 में आयोजित किए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम (आई.आर.एफ.ए) के तहत शविशेष चिंता के देशों (सी.पी.सी) को नामित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 'व्यवस्थित, चल रहे, गंभीर मानक के कम से कम एक तत्व को पूरा करते हैं।

भारत में शराब के साथ सौदा करने के लिए कानूनी प्रावधान

1860 की भारतीय दंड संहिता मॉब लिंचिंग को संबोधित नहीं करती है या लिंचिंग को अपराध नहीं मानती है। घातक लिंचिंग करने वालों पर आमतौर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। 2015 के दादरी लिंचिंग मामले की प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता, 1860 पर आधारित दावे शामिल थेः

- 147–दंगे
- 148–घातक हथियार से लैस दंगे
- 149–गैरकानूनी सभा
- 302–हत्या
- 307–हत्या का प्रयास
- 458–हाउसब्रेकिंग

- 504–शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना

1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 भीड़ हिंसा के प्रतिवादियों पर एक साथ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। लिंचिंग की घटनाओं में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और धारा 153, शामिल हैं।

तहसीन पूनावाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया हैः हमने पहले जो निर्देश दिए हैं और जो हमने व्यक्त किया है, उसके अलावा, हम विधायिका, यानी संसद को लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध बनाने और उसके लिए पर्याप्त सजा प्रदान करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। हमने कहा है कि इस क्षेत्र में एक विशेष कानून के रूप में इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों में कानून के प्रति भय की भावना पैदा होगी।

हाल के वर्षों में कई भारतीय सरकारों ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग की बढ़ती दर से निपटने के लिए कानून पेश किया है। 22 दिसंबर, 2021 को झारखंड विधानसभा ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग रोकथाम विधेयक पारित किया। भीड़ हिंसा के अपराधियों को इस कानून के तहत तीन से लेकर आजीवन कारावास की सजा मिलती है। स्पष्ट कानूनी परिणाम देकर और लिंचिंग को कठोर दंड के साथ दंडित करके, यह कानून एक महत्वपूर्ण सुधार करता है। विधेयक को पारित करने और लागू करने से पहले राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी होगी। यह कानून स्पष्ट कानूनों के साथ भीड़ हिंसा पर कानूनी शून्य को दूर करने के लिए भारत में एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है जो अपराधियों को दंडित करता है और भविष्य की घटनाओं को हतोत्साहित करता है। अन्य राज्यों ने भी कानून के साथ लिंचिंग को संबोधित किया। 5 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधानसभा ने लिंचिंग से राजस्थान संरक्षण विधेयक पारित किया। यह कानून मॉब लिंचिंग में शामिल किसी भी व्यक्ति पर आजीवन कारावास और ₹1 लाख से ₹5 लाख तक के जुर्माने सहित कठोर दंड लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों की मौत हो जाती है। भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए भारी प्रतिबंध लगाकर, यह कानून इस मुद्दे के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 30 अगस्त, 2019 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल (लिंचिंग की रोकथाम) विधेयक पारित किया। यह विधेयक लिंचिंग और मॉब को परिभाषित करता है और ऐसा करने वालों के लिए तीन से आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव करता है। इस कानून में पश्चिम बंगाल लिंचिंग मुआवजा योजना शामिल है, जो पीड़ितों और उनके परिवारों को दंडात्मक और सहायक दोनों उपाय प्रदान करती है। ये विधायी प्रयास भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए सटीक कानूनों की आवश्यकता और लिंचिंग के मामलों में कानूनी स्पष्टता और समाधान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता में वृद्धि को दर्शाते हैं।

भारतीय न्यायपालिका : मॉब लिंचिंग और मानवाधिकार

हालाँकि, भारत में लिंचिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिए आगे आई है और समय–समय पर इसके बारे में दिशा–निर्देश प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य और अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव लोकतंत्र की पहचान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख है। धार्मिक रूढ़िवादिता आतंकवाद अधिनियम की तरह है जिसमें ऐसे समाज में निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण के मार दिया जाता है जो श्कानून के शासनश द्वारा शासित हो रहा है।

कृष्ण श्राद्ध बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मनुष्य को विधि के शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। यदि उसे उपचार प्रदान करने से इनकार कर दिया जाता है तो कोई वास्तविक न्याय नहीं होगा।

इलायची विपणन निगम बनाम केरल राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून का शासन एक व्यक्ति की व्यवस्था और न्याय की भावना को दर्शाता है। व्यवस्था के बिना कोई सरकार नहीं हो सकतीय कानून के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में, यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी विद्रोह के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा किया गया था। राज्य प्राधिकरण ने स्थानीय आदिवासी युवाओं को विशेष परियोजना अधिकारी (एस.पी.ओ.) के रूप में नियुक्त किया और उन्हें माओवादियों से लड़ने के लिए सशस्त्र किया। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए निरंतर और निरंतर प्रयास करे ताकि प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा, पोषण और संवर्धन किया जा सके। यह प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपराध को रोके और देश में सद्भाव बनाए रखे।

मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में हुए दंगों के संबंध में एक रिट याचिका दायर की गई थी इस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि भीड़ की हिंसा के पीड़ितों के साथ केवल सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी समुदायों या धर्मों को राहत और मुआवजे की मांग करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य या केंद्र के प्रत्येक प्रशासनिक निकायों या खुफिया एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे राज्य के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करें और उसे रोकें। यदि यह भी पाया जाता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी विफल पाया जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।

आर्कबिशप राफेल चीनाथ एस.वी.डी. बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, यह भी एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने में उड़ीसा राज्य की विफलता पर प्रकाश डाला गया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए और इस तरह की सांप्रदायिक अराजकता के आधार का पता लगाना चाहिए। अदालत ने इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए उस क्षेत्र में पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए त्वरित उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

ये उपर्युक्त मामले भारत में मॉब लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदम हैं। चूंकि कोई कानून नहीं है, इसलिए भारतीय न्यायपालिका के पास जनहित के किसी भी मामले में आगे आने की शक्ति है। इन मामलों में, माननीय न्यायालय ने दंगों या लिंचिंग के खिलाफ विभिन्न बयान और दिशा–निर्देश दिए हैं और मानवाधिकारों को बहाल करने का भी प्रयास किया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को लिंचिंग कानूनों पर विचार करने की सलाह देने के पांच साल बाद, सरकार ने मॉब लिंचिंग और घृणा–अपराध हत्या की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के तरीकों की सिफारिश की है। न्यूनतम सजा सात साल की जेल, अधिकतम सजा मौत। भारतीय न्याय संहिता मॉब लिंचिंग को

निर्दिष्ट आधारों के लिए पांच या अधिक लोगों द्वारा हत्या या गंभीर नुकसान के रूप में परिभाषित करती है। इन आधारों में नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास शामिल हैं। ऐसी हत्या के लिए सजा आजीवन कारावास या मौत है (धारा 103 खंड (2) भारतीय न्याय संहिता, 2023)।

निष्कर्ष

मॉब लिंचिंग वर्तमान समय का एक गंभीर अपराध है और यह मानव और साथ ही मानवाधिकारों को भी प्रभावित कर रहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है। लिंचिंग की गतिविधियां इन अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं। अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत गारंटीकृत अधिकार ज्यादातर प्रभावित अधिकार हैं। लिंचिंग को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यह इतना सफल नहीं है। मासुका को लिंचिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों के साथ पेश किया गया था, लेकिन इसे केवल कुछ राज्यों द्वारा अपनाया गया था।

यह ध्यान देने योग्य होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंचिंग पीड़ितों के लिए न्याय अधिनियम, 2018 जैसे उचित कानून होने चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह भी बहुत आवश्यक है कि पुलिस, प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों, राजनीतिक वर्ग, न्यायपालिका, मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मनुष्यों को लिंचिंग के उन्मूलन और मानवाधिकारों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ

1. बानाजी, एस. और भट, आर., व्हाट्सएप विक्टिन्सः भारत में भीड़ हिंसा से जुड़ी व्हाट्सएप गलत सूचना के नागरिक स्वागत और प्रसार की खोज, 2 एलएसई मीडिया एंड कॉम्स 1 (2020).
2. इलायची विपणन निगम बनाम केरल राज्य, (2017) 5 एस.सी.सी. 255.
3. चौधरी, पी, पांडे, एस, त्रिपाठी, एस और चौरसिया, एस, मशीन लर्निंग पर आधारित फेक न्यूज डिटेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्याख्यान नोट्स 47–56 (2021).
4. गुप्ता, आई., भारत में भीड़ हिंसा और सतर्कता, 23 विश्व मामलेः द जे. इंट। अंक 4 (2019).
5. कृष्ण श्राद्ध बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2017) 4 एससीसी 516
6. मलिक, एस. ए., भारत में अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षणः सच्चर समिति की सिफारिशों से लेकर मॉब लिंचिंग तक, एसएसआरएन इलेक्ट्रॉन। जे. (2019).
7. मॉब लिंचिंगः हमारे समाज के लिए एक बढ़ता खतरा, 7 स्ट्रैड रेस 11 (2020). https://doi.org/10.37896/sr7.11/011.
8. मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2013) 1 डब्ल्यू. पी. (आपराधिक) नं. 155 (2008) (सिविल) नं. 404 एस. सी
9. नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2007) डब्ल्यूपी नं। 250 एससी
10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2009) 6 एससीसी 342
11. पांडे, बी., कुमार, जी., अलगवी, एल. ओ., कुमार, एम. और शर्मा, वी., एक्सपोजर ऑफ फेक न्यूज टू द इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स, 28 आर.यू.डी.एन. जे. अध्ययन करें। लिट। – जर्नल। 2 (2023).
12. सदेव, एस. पी., मॉब लिंचिंगः विजिलेंट वायलेंस एंड स्टेट ऑब्लिगेशन, एस.एस.आर.एन. इलेक्ट्रॉन। जे. (2021)
13. सिंह, यू. के., भारत में कानून, राज्य और दक्षिणपंथी उग्रवाद, 14 जे. पुलिसिंग, इंटेल। आतंकवाद का मुकाबला 3 (2019).
14. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम श्रीमती चंद्रिमा दास और अन्य, (2000) 2 एससीसी 465: एआईआर 2000 एससी 98.
15. वार्ड, एम., दीवारें और गायः सोशल मीडिया, सतर्कता और राजनीतिक प्रवचन, 6 सोशल मीडिया और समाज 2 (2020).